न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—133/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/133)

1. प्रेम सिंह पुत्र स्व0 कान सिंह जाति रावत निवासी गली नम्बर 2 फतेहपुरिया दोयम ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. लाल सिंह पुत्र स्व0 गोहन सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह जाति रावत निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।
2. शांति देवी पुत्री स्व0 मोहनसिंह पुत्र स्व0 कानसिंह पत्नी श्री हजारी जाति रावत निवासी कालटेडा तहसील भीम, जिला राजसमंद हाल निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।
3. श्रीमती कमला देवी पत्नी पूरन सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह जाति रावत निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।
4. ललित सिंह पुत्र स्व0 पुरन सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह जाति रावत निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।
5. सुरेश सिंह पुत्र स्व0 पुरन सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह जाति रावत निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर नाबालिग जरिए भ्राता ललित सिंह पुत्र स्व0 पुरन सिंह निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।
6. अशोक सिंह पुत्र स्व0 पुरन सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह जाति रावत निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर नाबालिग जरिए भ्राता ललित सिंह पुत्र स्व0 पुरन सिंह निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।
7. श्रीमती आशा देवी पुत्री स्व0 पुरन सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह पत्नी श्री चेतन सिंह जाति रावत निवासी रावतखेड़ा नानणा, तहसील रायपुर जिला पाली।
8. श्रीमती कंकू देवी पत्नी स्व0 लूम्ब सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह जाति रावत निवासी लहरपुरी आश्रम, भैरूजी की दांती हिम्मतनगर, फतेहपुरिया दोयत ब्यावर जिला अजमेर।
9. सुमेर सिंह पुत्र स्व0 लूम्ब सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह जाति रावत निवासी गली नम्बर 3, फतेहपुरिया दोयत ब्यावर जिला अजमेर।
10. बलवंत सिंह पुत्र स्व0 लूम्ब सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह जाति रावत निवासी गली नम्बर 3, फतेहपुरिया दोयत ब्यावर जिला अजमेर।
11. श्रीमती सुमन देवी पुत्री स्व0 लूम्ब सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह जाति रावत निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

12. श्रीमती सरोज देवी पुत्री स्व0 लूम्ब सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह पत्नी नैनासिंह जाति रावत निवासी भैरूजी की दांती हिम्मतनगर फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।
13. सोहन सिंह पुत्र स्व0 कान सिंह जाति रावत निवासी गली नम्बर 2 फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2022 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर राजस्व वाद संख्या 45/2019.

उपस्थितः–

1. श्री समीर अहमद खान अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री ज्ञानसिंह गादिया अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 13 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः–07.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2019 (2019/00089) में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर के समक्ष अंतर्गत धारा 53 बावत बंटवारे का विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। वादी के द्वारा केवल बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर भूमि का बंटवारा चाहा उपरोक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमियों के बाबत जो वाद प्रस्तुत किया गया है परंतु उपरोक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में विद्यमान नहीं है कुछ मकानात बने हुए है विद्युत पोल लगे हुए है इस प्रकार उपरोक्त भूमि कृषि उपयोग में नहीं आ रही है तथा वाद के चरण संख्या 2 के अनुसार आवादी भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न्यायालय को नहीं तथा यह भी अंकित किया कि उपरोक्त भूमि में स्थापित मोहल्ले में मकान बना कर कुछ लोग निवास कर रहे हैं इसिलए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जो आवश्यक पक्षकार है तथा आबादी भूमि होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

Scanned with CamScanner

धारा 207 व उसके साथ बने परिशिष्ट 3 एवं धारा 9 जा0दी0 के तहत न्यायालय को प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है अर्थात वार्ड बाई लॉ है इसलिए वाद खारिज किया जावे। उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया तत्पश्चात बहस सुन कर वादी का वाद दिनांक 4.5.2022 द्वारा लगभग नॉन स्पीकिंग आदेश से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2019 (2019/00089) में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी ने अपने वाद पत्र में खसरा नम्बर 203, 204, 208, 209, 246, 249, 251, 253, 254 कुल किता 9 कुल रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा बाबत वाद प्रस्तुत किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि खसरा नम्बर 208 व 253 आबादी भूमि होने के कारण नगर परिषद के नाम अंकित हो गए है तथा शेष भूमि राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि है इसलिए कृषि भूमि के बाबत विभाजन का वाद केवल और केवल राजस्व न्यायालय में ही चलेगा इसके बाबत प्रार्थी ने जमाबंदी, अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत कर दी जिसमें भूमि पक्षकारान की खातेदारी में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व भूमि के बाबत बंटवारा किए जाने का पूर्ण हक व अधिकार है तथा पक्षकारान के मध्य बंटवारा किए जाने का भी उन्हें पूर्ण अधिकार है तथा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान बंटवारे के वाद में पूर्ण लागू ही नहीं होते है क्योंकि जो भूमि राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि है उसका बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत ही किया जाना आवश्यक होता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। खसरा नम्बर 208 व 253 के बाबत आबादी होने एवं नगर परिषद के नाम होने का कथन सर्वप्रथम किया गया है तथा शेष खसरा नम्बरान की भूमि का बंटवारा किया जाना आवश्यक था क्योंकि इस प्रकार से किसी भी भूमि का अनवरत रूप से अनंत समय तक बिना बंटवारे के नहीं रखा जा सकता क्योंकि उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि वादी प्रतिवादीगण के पूर्वजों से प्राप्त हुई है ओर इनका आपसी बंटवारा सहमती पत्र दिनांक 27.5.2013 को निष्पादित किया गया है जिसमें आबादी भूमि का भी अंकन किया गया था और उस बंटवारे नामें के आधार पर ही वादी ने बंटवारा चाहा है चूंकि समस्त भूमि के बाबत बंटवारा नामा है इसलिए वादी ने बिना किसी तथ्य को छिपाते सम्पूर्ण भूमि के खसरा नम्बर अंकित किए है, इसलिए न्यायालय को राजस्व भूमि के बाबत बंटवारा किया जाना था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। भूमि का बंटवारा किए जाने बाबत किसी भी प्रकार का वार्ड बाई लॉ प्रकरण नहीं है क्योंकि अपीलांट वादी ने उपरोक्त खसरा नम्बर 208 व 253 के बाबत कोई खातेदारी घोषणा का वाद ही प्रस्तुत नहीं किया है और बंटवारे का दावा कभी भी वार्ड बाई लॉ नहीं हो सकता है यदि न्यायालय को यह लगता था कि इन दो खसरा नम्बरान के बाबत दावा डिक्री नहीं हो सकता है तो शेष खसरा नम्बरान के बाबत विधि सम्मत रूप से

Scanned with CamScanner

बंटवारा किया जा सकता था किंतु उनके द्वारा नहीं कर निर्णय पारित कर दिया गया। आदेश 7 नियम 11 के तहत दावा केवल तभी खारिज किया जा सकता है जब कि केवल दावे को पढने मात्र से यह लगता हो कि दावा बार्ड बाई लॉ है अथवा बिना वाद कारण के है जिसे खारिज किया जा सकता है, परंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया। प्रतिवादी रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 में यह कहीं पर भी अंकित नहीं है कि किस प्रकार से वाद विधि द्वारा वर्जित है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खुद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुए निर्णय पारित किया है परंतु अन्य खसरा नम्बरान के बाबत कुछ भी अंकित नहीं किया है कि उनका बंटवारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है इस प्रकार से आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र निस्तारण नहीं किया जा सकता था फिर भी उन्होंने इस प्रकार से करते हुए वादी का वाद खारिज किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादी की पूर्ण व पर्याप्त जानकारी में उपरोक्त भूमि किसी भी प्रकार से कृषि भूमि के रूप में विद्यमान नहीं है व उक्त भूमि में सडकों का निर्माण होने के साथ साथ मकानात बने जाकर एक बस्ती का रूप ले लिया है जिसमें विद्युत पोल लगाए जाकर बिजली कनेक्शन चालु हो रखा है, जिसमें पिछले 10 सालों से काफी परिवार अपने सदस्यों के साथ निवास कर रहे हैं। अतएव उक्त भूमि किसी भी प्रकार से पिछले 10 सालों से कृषि उपयोग में नहीं आ रही है व वादग्रस्त भूमि आबादी मौहल्ला का रूप ले चुकी है जो वाद पत्र के पद संख्या 2 के पठन मात्र से ही स्पष्ट है अत एवं आबादी भूमि की सनुवाई का क्षेत्राधिकार एक मात्र सिविल न्यायालय को ही है। वादी ने जानबूझकर वाद में उपरोक्त भूमि में में स्थापित मोहल्ले में मकान बनाकर निवास करने वाले व्यक्तियों को पक्षकार मुकदमा ही नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है। उक्त वादपत्र आबादी भूमि के विषय में है और उसके विषय में मांगे गए अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 तथा उसके साथ बने परिशिष्ट 3 एवं धारा 9 जा0दी0 के तहत न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने का श्रवण क्षेत्राधिकार नहीं है तथा न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकार एक्सक्ल्यूड किया है। अतएव प्रस्तुत वादपत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सरसरी तौर पर ही बॉर्ड वॉई लॉ होने के कारण निरस्त होने योग्य है, मौजूदा वाद नाबालिगान के विरूद्ध दायर किया गया है जिस बाबत वादी ने न तो न्यायालय से स्वीकृति ली है व न ही उनका वली नियुक्त करवाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 को दर्ज किया जाकर, प्रतिवादीगण को नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

जारी किये जाने के आदेश दिये गये। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1, 4 से 06, 8, 10, 11, 12 की ओर से श्री ज्ञानचन्द गादिया एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात दिनांक 28.02.2022 को वकील प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 22.08.2022 को वकील वादी को प्रार्थना पत्र की प्रति दी गई। दिनांक 26.04.2022 को प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना जाकर, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को दिनांक 04.05.2022 को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद को खारिज करने के आदेश दिये गये।पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र ग्राम फतेहपुरिया दोयम की वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 203, 204, 208, 209, 246, 249, 251, 253, 254 कुल किता 9 पर अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद पत्र में उक्त विवादित खसरान में से खसरा नम्बर 208 व 253 को आबादी होने के कारण नगर परिषद के नाम अंकित होने के कारण आबादी मानते हुए, सम्पूर्ण वाद पत्र को खारिज किया है जो विधि सम्मत नहीं है। केवल खसरा नम्बर 208, 253 ही आबादी में अंकित था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 का निर्णय केवल वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर किया जाना चाहिए। आदेश 07 नियम 11 के अन्तर्गत दावा तभी खारिज किया जा सकता है जब कि वापत्र के अभिवचनो से दावा विधि से वर्जित साबित हो। वादी/अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र बाबत् बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि वादग्रस्त भूमि उसके पूर्वजो के समय से ही संयुक्त रूप से कब्जेकाश्त की है। ऐसे दावे को विधि से वर्जित नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को आबादी के खसरो को छोड़ते हुए शेष भूमि का 18–21 की पालना करते हुए नियमानुसार तकासमा किया जाना चाहिए था, उनके द्वारा नहीं किया गया हैं। किसी भी प्रकरण का निस्तारण करने से पहले न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए की प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित हो केवल तकनीकि त्रुटियों के आधार पर प्रकरण निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए, इस पर मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा गंभीरता से लेते हुए समय–समय पर विभिन्न/निदेर्शों के द्वारा त्रुटिपूर्वक मानते हुए मेरिट के आधार पर प्रकरण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 203, 204, 208, 209, 246, 249, 251, 253, 254 कुल किता 9 में से केवल खसरा नम्बर 208 व 253 को आबादी का होने के कारण सम्पूर्ण वाद को खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे आबादी के खसरो को छोड़ते हुए शेष भूमि का नियम 18–21 की पालना करते हुए नियमानुसार तकासमा किया जावे।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है, व उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आबादी के खसरों को छोड़ते हुए शेष भूमि का नियम 18–21 की

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

पालना करते हुए नियमानुसार तकासमा किया जावे, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ब्यावर को मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार रिपोर्ट बनाकर विचारण न्यायालय में पेश करने का निर्देश प्रदान करें तथा तद्दनुसार ही प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर रो कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner